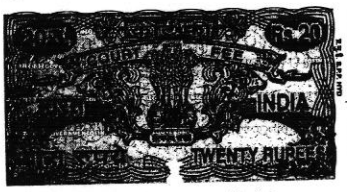

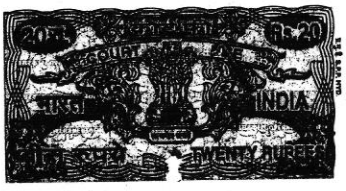

# न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल-ग्वालियर, संभाग-ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी प्रकरण क्रमांक- I/निग०/छत्र(म०)/भू०रा०/2017/2269 सन्-2017

1. सुरेश प्रसाद बाजपेयी तनय स्व. श्री श्याम बिहारी बाजपेयी,
आयु-67 वर्ष, निवासी-वार्ड नंबर-12, खजुराहो,

2. रूपेश कुमार तनय स्व. श्री महेश प्रसाद बाजपेयी,
आयु-38 वर्ष, निवासी-वार्ड नंबर-12, खजुराहो,

3. श्रीमती ज्ञान बाजपेयी बेवा स्व. श्री महेश प्रसाद बाजपेयी,
आयु-64 वर्ष, निवासी-वार्ड नंबर-12, खजुराहो,

4. श्रीमती सुशीला बाजपेयी बेवा स्व. श्री रमेश प्रसाद बाजपेयी,
आयु-68 वर्ष, निवासी-वार्ड नंबर-12, खजुराहो,

5. अटल बिहारी बाजपेयी तनय स्व. श्री रमेश प्रसाद बाजपेयी,
आयु-48 वर्ष, निवासी-वार्ड नंबर-12, खजुराहो,
तहसील-राजनगर, जिला-छतरपुर (म.प्र.) ...... निगरानीकर्तागण/उत्तरवादीगण

बनाम

1. श्रीमती विद्यावती बेवा स्व. श्री जानकी प्रसाद पाठक,
पुत्री स्व. श्री श्यामबिहारी, आयु-63 वर्ष,
निवासी ग्राम-गढ़ीमलहरा, तहसील-महाराजपुर,
जिला-छतरपुर (म.प्र.) ...... गैरनिगरानीकर्तागण/अपीलार्थी

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अधि. द्वारा आज दि. 19.7.17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 19.7.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

**निगरानी हस्व धारा-50 म.प्र.भू.रा.सं.-1959 निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, राजनगर, तहसील-राजनगर, जिला-छतरपुर म.प्र. के प्रथम राजस्व अपील क्रमांक-30/अपील/2015-16, श्रीमती विद्यावती बनाम सुरेश प्रसाद बाजपेयी वगैर में पारित आदेश दिनांक-08.06.2017**

मान्यवर महोदय,

निगरानीकर्तागण/उत्तरवादीगण निम्नलिखित निगरानी प्रकरण श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत करते हैं :-

1. यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, राजनगर, तहसील-राजनगर, जिला-छतरपुर के द्वारा पारित कथित आदेश दिनांक-08.06.2017 की जानकारी कथित दिनांक को शाम 05:30 बजे प्राप्त होने पर उत्तरवादीगण की ओर से दिनांक-09.06.2017 को ही आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कराने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक-03.07.2017

निरन्तर.....2

XXXIX(a)BR(H)-11

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक/निगरानी/छतरपुर/भू0रा0/2017/2269

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही एवं आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 28/5/18 | यह निगरानी आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर, जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 30/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 08.06.2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।<br>2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा नामांतरण पंजी वर्ष 1995:96 के क्रमांक 67 में पारित आदेश दिनांक 9-7-96 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में वर्ष 2015 अर्थात 35 वर्ष बाद अपील की । उक्त अपील के साथ अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पेश किया गया । अनुविभागीय अधिकारी ने आलोच्य आदेश द्वारा विलंब क्षमा का आवेदन स्वीकार करते हुए प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।<br>3/ आवेदक की ओर से विद्वान अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 5 अवधि विधान के समर्थन में अनावेदिका के शपथ पत्र बावत् विधि अनुसार प्रति परीक्षण हेतु अनावेदिका को न्यायालय में उपस्थित किये जाने की प्रार्थना पर विचार न कर मनमाना आदेश पारित किया है। आवेदक द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम के आवेदन पत्र पर तर्क श्रवण किये जाने से पूर्व विवादित सम्पत्ति बावत् संबंधित पटवारी से स्थल निरीक्षण कराया जाकर प्रतिवेदन बुलाये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर किसी भी प्रकार का कोई आदेश पारित करना आवश्यक नहीं माना कथित आवेदन पत्र अनिर्णीत आज भी संलग्न प्रकरण है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय अपने उन | |

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही एवं आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | अधिकारों का प्रयोग नही किया जो उनको कानूनन प्राप्त थे अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 08.06.2016 के अंतिम पैरा में अपीलार्थी को हितवद्व पक्षकार मानकर कथित 20 वर्ष की अवधि विलंब क्षमा किये जाने का आवेदन पत्र स्वीकार करने में कानूनी भूल की है, इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। इस संबंध में 1992 आर.एन 289 उच्च न्या. का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया है एवं अभिभाषक द्वारा यह बताया गया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन, 2005 के आरम्भ के पश्चात पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त हुआ है, किन्तु वर्तमान प्रकरण में अनावेदिका श्रीमती विद्यावती के पिता की मृत्यु दिनांक 31.10.1999 में हो चुकी है तथा आवेदकगण के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में पारिवारिक बंटवारानामा दिनांक 20.12.1995 को पंजीबद्व कराकर सम्पादित करा दिया था, इसलिए उक्त रजिस्टर्ड बंटवारें के आधार पर नामांतरण पंजी वर्ष 1995-96 के क्रमांक 67 में पारित आदेश दिनांक 08.07.1996 से नामांतरण किया गया है, ऐसी स्थिति में हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम,2005 की धारा 6 के तहत अनावेदिका श्रीमती विद्यावती को प्रश्नाधीन सम्पत्रि में कोई भी हक एवं हिस्सा प्राप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में अभिभाषक द्वारा वर्तमान निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।<br>5- अनावेदक के अभिभा□ाक द्वारा अपने तर्को मुख्य रूप से यह बताया कि अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर द्वारा वर्तमान प्रकरण में आदेश विधिवत् एवं सही पारित किया है इसलिये उक्त आदेश को स्थिर रखा जाये।<br>6- उभयपक्ष के अभिभाषको द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं अधीनस्थ न्यायालयो के अभिलेख के अवलोकन से स्प□ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लगभग 20 वर्ष के विलंब को क्षमा किया है जो वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है क्योंकि इस संबंध में माननीय उच्च | |

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक/निगरानी/छतरपुर/भू0रा0/2017/2269

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही एवं आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | न्यायालय द्वारा न्यायद''टांत 1992 आर.एन. 289 में स्प''ट उल्लेख किया है कि परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5 व्याप्ति अधिकारिता की प्रकृति-वैवेकिक है पक्षकार विलंब माफी के लिये अधिकार के रूप में हकदार नहीं है पर्याप्त कारण का सबूत अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित वैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये पुरोभाव्य शर्त है न्यायालय अपनी अंतनिर्हित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कलावधि नही बढा सकता । वर्तमान प्रकरण में जो आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था उसमे कोई पर्याप्त कारण नहीं दिये गये थे जबकि आवेदन पत्र के जबाव में आवेदक की ओर से बताया गया था कि आवेदन पत्र में दिन प्रतिदिन के विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है अनावेदिका का विवादित भूमि पर करीब 35 वर्ष पूर्व से कब्जा नही रहा है आवेदक के हित में दिनांक 03.05.1995 को स्वतः घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश हुआ है इस आदेश के विरूद्व अपील अपर जिला न्यायधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट छतरपुर के समक्ष अपील क्रमांक 4/05 प्रस्तुत की गयी थी जो आदेश दिनांक 18.05.2006 को निरस्त हुयी है इसके पश्चात् आवेदकगण के पिता द्वारा विधिवत् रजिस्ट्रर्ड बंटवारा दिनांक 19.12.1995 को किया है तत्पश्चात् सभी हिस्सेदारो के नाम विधिवत् नामान्तरण किया गया है। ऐसी स्थिति में नामान्तरण पंजी वर्ष 1995-96 के क्रमांक 67 में पारित आदेश दिनांक 08.07.1996 की जानकारी अनावेदिका को होने का प्रश्न ही नहीं है। हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, 2005 की धारा 6 के अनुसार प्रश्नाधीन सम्पत्ति में अनावेदिका श्रीमती विद्यादेवी बेवा स्व0 श्री जानकी प्रसाद पाठक को | |

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही एवं आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | कोई हक हिस्सा प्राप्त नहीं है। इस वैधानिक स्थिति पर विचार किये बिना जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।<br>7- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी राजनगर, जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2017 अपास्त किया जाकर उनके समक्ष प्रचलित कार्यवाही समाप्त की जाती है ।<br>8- पक्षकार सूचित हों । अभिलेख वापिस हो ।<br>( एम.गोपाल रेड्डी )<br>प्रशासकीय सदस्य | |